

सख्या. शिक्षा-एच(20)जी-जलपान / 2016
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

शिक्षा निदेशालय उच्चतर विभाग

दिनांक: शिमला-171001

31 JAN 2023
, 2023

निविदा सूचना

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला-1 में कैन्टीन संचालन करने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में व्यवसायिक प्रबन्धकों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा -दाता का इस क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है। निविदाएं दिनांक 14.02.23 को 200 बजे अपराहण या इससे पूर्व शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला-1 में पहुंच जानी चाहिए। निविदाए उसी दिन 300 बजे अपराहन को निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। लिफाफे के उपर निविदाए कैन्टीन शिक्षा निदेशालय 2023-24 अकित किया जाए। टैन्डर के साथ प्रतिभुति राशि मुबलिग 10,000/- रूपये बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो, जमा करवाना अनिवार्य होगा। नियम व शर्तें निदेशालय की वेबसाइट- www.education.org से डाउनलोड कर सकते हैं।

शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठाकन सख्या. सम दिनांक शिमला-1

, 2023

1. निदेशक लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि टैन्डर नोटिस का प्रकाशन हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में करने की कृपा करें।
2. अधीक्षक (कम्प्युटर शाखा) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त पत्र को निदेशालय तथा लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर डालें।
3. नोटिस बोर्ड शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिं0 प्र0।
4. कार्यालय / रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

शिक्षा निदेशालय उच्चतर विभाग

31 JAN 2023

सख्या: शिक्षा-एच(20)जी-जलपान / 2016
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

दिनांक: शिमला-171001

, 2023

निविदा सूचना

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला-1 मे कैन्टीन सचालन करने हेतु मोहरबन्द लिफाफे मे व्यवसायिक प्रबन्धकों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा -दाता का इस क्षेत्र मे कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है। निविदाएं दिनाक 14.02.23 को 200 बजे अपराहण या इससे पूर्व शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला-1 मे पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन 300 बजे अपराहन को निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा खोली जाएंगी। लिफाफे के उपर निविदाएं कैन्टीन शिक्षा निदेशालय 2023-24 अंकित किया जाए। टैडर के साथ प्रतिभूति राशि मुबलिग 10,000/- रूपये बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रखी जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो, जमा करवाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की निर्धारित दरें निम्नलिखित शर्तों पर आमन्त्रित हैं।

निविदा भरने की प्रक्रिया:-

तकनीकी निविदा :- **Technical Bid**

➤ तकनीकी निविदा के साथ निविदिदाता द्वारा मु 10,000/- प्रतिभूति राशि जो कि A/c payee bank draft FDR duly pledged or bank guarantee के रूप मे तैयार करें।

➤ कार्य अनुभव प्रमाण पत्रः— निविदिदाता द्वारा किसी सरकारी कार्यालय व संस्था, बोर्ड, निगम कार्यालय मे कैन्टीन/मैस चलाने का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

➤ निविदा मे दी गई शर्तों के अनुपालना हेतु वचन पत्र देगा।

वित्तीय निविदा:- **Financial Bid**

➤ विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुओ के सामने निविदादाता द्वारा अपनी दरे दी जाएंगी।

➤ वित्तीय निविदा केवल उसी निविदादाता की खोली जाएगी जो कि तकनीकी निविदा मे दी गई शर्तों एवं दस्तावेजों को पूर्ण करता हो।

नियम व शर्तें

- 1) इस टैन्डर की अवधि फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक होगी ।
- 2) कैन्टीन के लिए फर्नीचर इत्यादि विभाग का होगा , उसे सुरक्षित रखना कैन्टीन ठेकेदार का कर्तव्य होगा । यदि इसमें किसी प्रकार की टूट-फूट होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति कैन्टीन ठेकेदार को करनी होगी ।
- 3) कैन्टीन खोलने का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक होगा । इस समय में परिवर्तन शिक्षा निदेशक के लिखित आदेश से ही होगा ।
- 4) कैन्टीन के लिए पानी व बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा ।
- 5) कैन्टीन ठेकेदार को शिक्षा निदेशक के नाम बिजली व पानी की प्रतिभूति /निष्पादन सुरक्षा राशि अलग से 10,000/- रुपये बैंक ड्राफट/ सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो कोषाध्यक्ष के पास जमा करवानी होगी ।
- 6) कैन्टीन होल्डर को कैन्टीन के परिसर को प्रतिदिन साफ रखना होगा । कैन्टीन में कोई बाहरी व्यक्ति निवास नहीं करेगा तथा कैन्टीन कर्मचारी ही कैन्टीन में रात्रि ठहराव कर सकेंगे । अनाधिकृत व्यक्ति के कैन्टीन में पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना सूचना दर ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।
- 7) कैन्टीन में नशीली वस्तुएं जैसे शराब , सिगरेट , तम्बाकू गुटका इत्यादि रखने पीने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगा ।
- 8) ठेकेदार प्रतिमास अग्रिम रूप से कैन्टीन किराये की राशि जो कि मुबलिंग 2000/- रुपये होगी, प्रशासन के पास जमा करवाएगा ।
- 9) जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत नहीं होगी उसे उसकी जमानत राशि का भुगतान निविदा का निर्णय होने के बाद वापिस कर दिया जाएगा ।
- 10) किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार शिक्षा निदेशक को होगा जिसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 11) सफल निविदिदाता के साथ विभाग द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालना हेतु अनुबन्ध किया जाएगा ।
- 12) यदि सफल निविदिदाता विभाग/ कर्मचारियों के हित में कार्य नहीं करेगा तथा खाद्य पदार्थों की गुणवता /वजन/सर्विस ठीक न पाए जाने या अन्य किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त किया जा सकता है तथा निविदा को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
- 13) यदि कैन्टीन ठेकेदार द्वारा कैन्टीन को ठीक प्रकार से नियमानुसार चलाता है तो टैन्डर की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है ।

ପ୍ରକାଶକ ମହିନେ

(ମୁଦ୍ରଣ ଟଙ୍କା) ପ୍ରାଚୀନ ପାତା

May

Հայ Արքունի Աւելափ

16) የዚህ ማስታወሻ በዚህ የዚህ ማስታወሻ በዚህ የዚህ ማስታወሻ በዚህ የዚህ ማስታወሻ በዚህ

I. IIIrd half 19 July

ପାଦ ପାଦ

1. 언급된 책들

14) ተከታታል የዕድል ማስተካከል ተከታታል የዕድል ማስተካከል ተከታታል የዕድል ማስተካከል

दर सूची कैन्टिन शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	न्युनतम मात्रा	दर
1.	आलू पराठा (अचार)	5 (ईच)	
2.	गोभी पराठा (अचार)	5 (ईच	
3.	पनीर पराठा (अचार)	5 (ईच	
4.	चना बढ़ूरा (अचार)	2 भट्ठरे 75 ग्रम प्रत्येक, चना—1 कटौरी 200 ग्राम	
5.	बैज सेंडविच	70 ग्राम	
6.	खाना पूरा (फुल डाइट)	चावल (बासमती) चपाती, दाल, सब्जी, कड़ी/रायता, स्लाद (प्याज/मूली/खीरा आदि	
7.	खाना आधा	चावल—50 ग्राम— आधी प्लेट, चपाती— 2, सब्जी—100 ग्राम, दाल (1 कटौरी 200 मि.ली) /कड़ी/रायता/ स्लाद(प्याज/मूली/खीरा आदि)	
8.	दाल/सब्जी	1 कटौरी 200 मि.ली।०	
9.	चपाती (तवा)	प्रति	
10.	चपाती (तदूर)	प्रति	
दोपहर खाने का विवरण	दिन	दाले	सब्जी
	सोमवार	राजमाह / माह राजमाह	घीया / फुलगोभी
	मंगलवार	सफेद चने / दलेमाह, चने	भिन्डी / गाजर मटर
	बुधवार	काले मसुर / मुग चने	फासबीन / बन्दगोभी
	वीरवार	माह / अरहर	आलू शिमलामिर्च
	शुक्रवार	रोगी / कुल्थ	फुल गोभी / गाजर मटर / साग
	शनिवार	काले चने / मिक्स दाल	मौसमी सब्जी
11.	चाय (ग्रीन)	150 मि.ली	
12.	चाय	150 मि.ली	
13.	काफी	150 मि.ली (दूध केवल)	
14.	सूप (मिक्स, टोमेटो)	150 मि.ली	
15.	शेक (केला व आम)	150 मि.ली	
16.	पकोडे	प्रति किलो	
17.	मटर	प्रति किलो	
18.	बेसन	प्रति किलो	
19.	मटठी	प्रति पीस	
20.	जलेबी	प्रति किलो	
21.	ब्रेड पकोडा (स्टफ)	70 ग्राम	
22.	समोसा	70 ग्राम	
23.	नमकीन	प्रति किलो	
24.	फुट जुस	प्रति पेकेट	
25.	दही	प्रति कटोरी	
26.	स्पेशल लच	1. पनीर आइटम मटर पनीर/शाही पनीर/मटर मशरूम 2. सब्जी मौसमी / मिक्स 3. दाल (राजमाह, माह, मखनी, पीली दाल) 4. चपाती/पूरी 5. चावल बासमती 6. मिष्ठान 7. सलाद— मूली, खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर	